न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :-	284 / 2024	जी.सी.एम.एस. नम्बर :-	2024 / 381
दायर दिनांक :-	30.10.2024	निर्णय दिनांक :-	21.02.2025

1. नथूराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. बाबूराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. मोहनराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. हीराराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. रामकिसन पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि राजस्व ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर के खसरा नबर 142/1 रकबा 15.9446 हैक्टेयर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की, खसरा नम्बर 142 रकबा 3.9821 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी अधिकारों की स्थित है प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 142/1 रकबा 15.9446 हैक्टेयर भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त भूमि को लेकर कभी भी बंटवाड़ा नहीं किया है और न ही प्रार्थीगण ने तरमीम बाबत किसी प्रकार की कोई सहमति दी है लेकिन वर्तमान में पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एंव बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थीगण को सूचित किये बगैर ही सरासर गलत तरीके से ग्राम नेवा पटवर क्षेत्र कानासर के खसरा नम्बर 142/1 रकबा 15.9496 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 142 रकबा 3.9821 हैक्टेयर भूमि की नक्शा में खातेदारों के कब्जा काश्त के विपरित कर दी। जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरुद्ध तरीके से खातेदारों के कब्जा व काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

सहायक ... बा

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर गिरदावर की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर के खसरा नबर 142/1 रकबा 15.9446 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 142 रकबा 3.9821 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। तहसीलदार बाप के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानासर व भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.11.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर के खसरा नबर 142/1 रकबा 15.9446 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 142 रकबा 3.9821 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त की जाकर पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.11.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)